

(ए) —पीटी दिनांक ११-१०-१९५६ तथा संख्या ६/७/५६-एस्टेबलिशमेंट (ए) दिनांक १५-६-१९६० की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। [देखिए परिशिष्ट ३८, अनुपत्र संख्या ३५]

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक तथा अनीद्योगिक नियमित कर्मचारियों को यह रिआयत प्राप्य है।

[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) All the employees of the Central Government (including members of All India Services, employees of State Governments on deputation with the Central Government industrial and work-charged staff) who are entitled to regular leave are eligible for the concession. A copy of Ministry of Home Affairs O.M. No. 43/1/55-Ests (A)-Pt., dated 11th October, 1956 and O.M. No. 6/7/59-Ests(A), dated 15th June, 1960 are laid on the Table of the House. [See Appendix XXXVIII, Annexure No. 35.]

(b) Does not arise as the concession is already admissible to all regular Central Government servants, industrial and non-industrial.]

राज भाषा (विधायी) आयोग

३३६. श्री नवार्बसिंह चौहान : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज भाषा (विधायी) आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन कौन हैं; अ.र.

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' हो, तो देरी का कारण क्या है और ये नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

t[OFFICIAL LANGUAGE (LEGISLATIVE) COMMISSION

339. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) whether all the members of the Official Language (Legislative) Commission have been appointed;

(b) if so, what are the names of the members of the Commission; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what is the reason for the delay and by when these appointments will be made?]

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० मिश्रा) : (क) जी नहीं। आयोग के १८ सदस्यों में से अब तक चौदह व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

(ख) आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं :—

(१) श्री सी० पी० सिन्हा—अध्यक्ष

(२) श्री बी० जी० मुद्गेश्वर—उपाध्यक्ष

सदस्य

(३) श्री मौलिकन्द शर्मा

(४) श्री घनश्याम सिंह गुप्त

(५) श्री एस० एन० भट्टाचार्य

अंशकालिक सदस्य

(१) प्रो० जी० सी० वैकटामुन्डाराव

(२) श्री पी० एल० सोमे

(३) श्री यशोधर एन० मेहता

(४) श्री के० पद्मनाभन्

(५) श्री नजीर अहमदशाह

(६) श्री जी० सी० शर्मा

(७) श्री एस० एन० अग्रवाल, एम०एल०ए०

(८) श्री एस० एस० मोरे, एम०पी०

श्री बाल कृष्ण—सदस्य सचिव

(ग) आयोग में नियुक्त किये जाने के लिए सभी सदस्य चुन लिये गये थे किन्तु चार

व्यक्तियों की औपचारिक नियुक्ति नहीं की जा सकी। एक सदस्य को पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश से चुना गया था किन्तु दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई है तथा दूसरे व्यक्ति के चुने जाने का प्रश्न विचाराधीन है। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए मद्रास से जो एक सदस्य चुना गया था, उसने सदस्य बनने से इंकार कर दिया है। दूसरे जिस व्यक्ति को नियुक्ति के लिए चुना गया था, मद्रास सरकार ने उसे कार्यमुक्त नहीं किया। अतः मद्रास से किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

अंशकालिक सदस्यों के दो रिक्त स्थानों में से उड़ीसा के एक व्यक्ति को नियुक्ति के लिए पहले ही लिखा जा चुका है तथा उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। मैसूर के एक व्यक्ति के सामने भी उसे नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु उसने इंकार कर दिया था। अतः मैसूर से किसी दूसरे व्यक्ति के चुने जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। आशा की जाती है कि, ये नियुक्तियां बहुत जल्दी हो जायेंगी।

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI B. MISHRA) :

(a) No, Sir. Out of the 18 members of the Commission, fourteen persons have so far been appointed.

(b) The following persons have been appointed to the Commission:—

1. Shri C. P. Sinha—*Chairman*.
2. Shri B. G. Murdeshwar—*Vice-Chairman*.

Members

3. Shri Mauli Chandra Sharma
4. Shri Ghanshyam Singh Gupta
5. Shri S. N. Bhattacharya

Part-time Members

1. **Prof.** G. C. Venkata Subbarao
2. Shri P. L. Shome

t[1 English translation.

3. Shri Yashodhar N. Mehta
4. Shri K. Padmanabhan
5. Syed Nazir Ahmed Shah
6. Shri G. C. Sharma
7. Shri S. N. Agrawal, M.L.A.
8. Shri S. S. More, M.P.

Shri Bal Krishna—Member-Secretary.

(c) All the persons to be appointed to the Commission were selected but formal appointment in respect of four persons could not be made. One of the Members who was selected from U.P. for appointment as a full-time Member has, unfortunately, expired and the question of selecting another person is under consideration. A person who was selected from Madras for appointment as full-time Member had declined the offer. Another person who was selected for appointment could not be relieved by the Madras Government and the question of selecting another person from Madras is also under consideration.

Out of the two vacancies of part-time Members, an offer of appointment has already been made to a person from Orissa and his acceptance is awaited. An offer of appointment was also made to a person from Mysore, but he had declined the offer. The question of selecting another person from Mysore is receiving the attention of the Government. These appointments are expected to be made shortly.]

राज भाषा (विधायी) आयोग के लिये आवश्यक स्टाफ

१४०. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज भाषा (विधायी) आयोग को जो कार्य सौंपा गया है, उसे पूरा करने